जवाब दावा

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर(राजस्व),
संगरिया

देवंश जाखड़ व अन्य बनाम् जय कुमार जाखड़ व अन्य

श्रीमान जी,

प्रतिवादी सं. 2 की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार से है :-

1. यह कि वाद पत्र की चरण सं. 1 ज्ञान के अभाव में अस्वीकार हैं।
2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 ज्ञान के अभाव में अस्वीकार हैं।
3. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 ज्ञान के अभाव में अस्वीकार हैं।
4. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 मिथ्या होने के कारण अस्वीकार हैं।
5. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 5 कानुनी है।
6. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 6 कानुनी है। इसके अनुतोष खण्ड क से इन्कारी हैं। खण्ड ख,ग न्यायालय के विवेकाधीन हैं।

विधिक व अतिरिक्त आपत्तियां

यह कि वाद में वर्णित कृषि भुमि तहसील संगरिया के चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 11/8 व 13/79 की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की कृषि भूमि है। उक्त खाता में प्रतिवादी सं. 1 जय कुमार जाखड पुत्र श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी हरिपुरा की चक 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 11/8 में 3.6685 है. कृषि भूमि, व खाता सं. 13/79 में 0.685 है. कृषि भूमि है। उक्त खाता की कृषि भूमि **स्टेट बैंक ऑफ ईडिया शाखा ढाबां, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़** (राज.) के पास पंजीकृत रहन है। **स्टेट बैंक** [illegible] बैंककारी कम्पनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) [illegible] के अन्तर्गत गठित किया गया है। जो विधिक [illegible] नामान्तरण राजस्व अभिलेख में किया गया है। अतः वादग्रस्त कृषि भु[illegible] को रहन मुक्त करवाये बिना वादीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के विधिक रूप से अधिकारी व दावेदार नही है। अतः वादीगण का वाद पोषणीय नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.07 12:34:19 IS
Reason: SelfAttested

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक SBI 32046

लगातार --2

के विधिक रूप से अधिकारी व दावेदार नही है। अतः वादीगण का वाद पोषणीय नही है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

दिनांक :- 29.07.24

प्रार्थी (प्रतिवादी)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ढाबां, संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक स्टेट ऑफ इंडिया शाखा ढाबां, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यापन

मैं राज किरण सोनी शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ढाबां, संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इंडिया शाखा ढाबां, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है। अपने उपरोक्त जवाब दावा की चरण संख्या 1 ता 6 में वर्णित तथ्यों को अपने श्रेष्ठ ज्ञान एवं बैंक के अभिलेख के आधार पर तथा विधिक तथ्यों को अपने अधिवक्ता के परामर्श से सत्य एवं सही होना प्रमाणित करता हूँ। यह सत्यापन आज दिनांक ...29.07.24. में किया गया।

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक SBI 32046 ढाबां DHABAN

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:34:19 IST
Reason: SelfAttested

Presented By me

Gurvinder Singh Rajpal
Advocate
R/2982/2008

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 500 / 2022

वाद बाबत घोषणा

1. देवंश जाखड पुत्र श्री जयकुमार जाखड़ जाति जाट आयु 2 वर्ष द्वारा प्राकृतिक सरंक्षिका माता छोटी देवी जाखड़ पत्नी श्री जय कुमार जाखड जाति जाट साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

2. छोटी देवी जाखड़ पत्नी जय कुमार जाखड जाति जाट साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. जय कुमार जाखड पुत्र इन्द्राज जाखड़ जाति जाट साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

2. भारतीय स्टेट बैक शाखा ढांबा जरिये शाखा प्रबन्धक।

3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री संतोष गोदारा –वकील वादीगण
2. श्री सुभाष लिम्बा –वकील प्रति.सं. 1
3. श्री गुरविन्द्र सिंह –वकील प्रति:सं. 2

निर्णय दिनांक :– 12.8.2024

वादीगण हजारीराम वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 27.06.2023 को इस न्यायालय में पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपना रजिस्टर्ड पता वाद पत्र के शीर्षक मे सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पेश कर अंकित किया है। वादी सं. 1 के पिता एवं वादी सं. 2 के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम तहसील संगरिया के चक नं. 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 11/8 में 1/2 हिस्सा अर्थात 3.669 है.एवं चक नं. 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 13/79 में 685/13156 हि. अर्थात 0.685 है. कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जो कि प्रतिवादी सं. 1 के विरासतन प्राप्त है। जिसमें इस वादीगण का हक व हिस्सा बनता है। वादी सं. 1 के चक नं. 1 एच.आर.पी. के [illegible] सं. [illegible]/79 में दर्ज समस्त हिस्सा जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। वादी सं. 1 [illegible] प्राप्त हो चुका है तथा चक नं. 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 11/8 में दर्ज हिस्सा अर्थात 3.669 है. वादी सं. 2 को प्राप्त हो चुकी है जिसका काफी अर्सा पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ ही पारिवारिक सौहार्द बनाये रखने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:34:19 IST
Reason: SelfAttested

महा... कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आपसी रजामन्दी के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ने घरू बंटवारा कर वादीगण को चक नं. 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 11/8 व इसी चक के खाता सं. 13/79 में दर्ज वादी सं. 1 के नाम दर्ज समस्त हक व हिस्सा को वादीगण के नाम चक नं. 1एच आर.पी. के खाता सं. 11/8 में दर्ज वादी सं. 1 के नाम दर्ज . समस्त कृषि भूमि वादी सं. 2 को प्राप्त हो चुकी है। जिसे वो अपने नाम करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से विगत सप्ताह उक्त बंटवारानुसार राजस्व अभिलेख में नामान्तरण करवाने हेतु निवेदन किया तो कुछ दिन तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब पेश कर बैक हित ध्यान में रखने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 3 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा पैतृक सम्पति के साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 11/8 व इसी चक के खाता सं. 13/79 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 की प्रति पेश की। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 वादी सं. 1 का पिता एवं वादी सं. 2 के पति है। जिन्होने वादीगण के पक्ष में अपना स्वीकारात्मक जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया है। वादपत्र के चरण सं. 2 मे वर्णित कृषि भूमि वादीगण को विरासतन प्राप्त हुई इसलिए वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित हैं। साक्ष्य में जमाबन्दी चक नं. 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 11/8 व इसी चक के खाता सं. 13/79 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 पेश हुई। सहमति का जवाब दावा प्रति.सं. 1 ने पेश किया, कोई विरोध नही है। मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किया जावे। बहस में प्रति.सं. 1 के अभिभाषक ने जवाबदावा अनुसार वादपत्र डिक्री करने पर सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:34:19
Reason: SelfAttested

वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 11/8 व इसी चक के खाता सं. 13/79 जमाबन्दी संवत 2073–76 प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है। प्रति.सं. 1 का सहमति का जवाबदावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है।

न्यायिक कार्यकारी एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वादपत्र मुताबिक सहमति जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण सहमति के जवाबदावा के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज तहसील संगरिया चक नं. 1 एच.आर. पी. के खाता सं. 13/79 में दर्ज 0.685 है. कृषि भूमि का भूमि वादी सं. 1 देवंश जाखड एवं चक नं. 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 11/8 में दर्ज 3.669 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 छोटी देवी जाखड़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 जयकुमार जाखड़ का नाम उक्त खातो में से कलमजन किया जावे। आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:34:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 500/2022

1. देवंश जाखड पुत्र श्री जयकुमार जाखड़ जाति जाट आयु 2 वर्ष द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका माता छोटी देवी जाखड़ पत्नी श्री जय कुमार जाखड जाति जाट साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. छोटी देवी जाखड़ पत्नी जय कुमार जाखड जाति जाट साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. जय कुमार जाखड पुत्र इन्द्राज जाखड़ जाति जाट साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. भारतीय स्टेट बैक शाखा ढांबा जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषणात्मक हक

दिनांक :– 12.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सतोष कुमार वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री सुभाष लिम्बा, श्री गुरविन्द्र सिंह वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण सहमति के जवाबदावा के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज तहसील संगरिया चक नं. 1 एच.आर.पी. के खाता सं. 13/79 में दर्ज 0.685 है. कृषि भूमि का भूमि वादी सं. 1 देवंश जाखड एवं चक नं. 1 एच.आर. पी. के खाता सं. 11/8 में दर्ज 3.669 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 छोटी देवी जाखड़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 जयकुमार जाखड़ का नाम उक्त खातो में से कलमजन किया जावे।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X... खर्चा मुकदमें ... शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X... ... खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.8.24 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.09.07 12:34:19 IS
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया